विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

उद्देश्य

- स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप राजकीय / पंचायतीराज संस्था/ स्थानीय स्वायतशाषी निकाय के स्वामित्व की जन उपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण कराना ।
- क्षेत्रीय विकास में असन्तुलन को दूर करना ।
- स्थानीय समुदाय में स्वालम्बन एवं आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना ।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

कार्यो की अनुशंषा एवं क्रियान्विति

- वर्तमान में प्रति वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र 200.00 लाख रूपयों का आवंटन निर्धारित हैं । प्रत्येक वर्ष प्रति विधान क्षेत्र के लिये आंवटित राशि कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यो पर अनुशंषित करना अनिवार्य होगा। (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2000पार्ट II दिनांक 11.7.2012 को प्रतिस्थापित किया गया) ।
- विधायक द्वारा उनके वार्षिक आवंटन की 20 प्रतिशत राशि तक के प्रस्ताव योजनान्तर्गत पूर्व निर्मित सामुदायिक उपयोग की परिसम्पतियों के मरम्मत कराने हेतु प्रस्तावित किये जा सकेंगे।
- आवंटन से अधिक राशि की इस योजना मद से स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती हैं तथा आवंटन राशि लेप्सेबल नहीं होगी। (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2005 पार्ट दिनांक 4.8.2009 को प्रतिस्थापित किया गया) ।
- क्षेत्रीय विधायक द्वारा प्रतिवर्ष अपने विधान सभा क्षेत्र में कराये जाने वाले जनउपयोगी परिसम्पतियों के प्रस्ताव जो प्रति कार्य रू0 20.00 लाख से अधिक के नहीं होंगे,जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)में प्रेषित किये जायेंगे। विशेष परिस्थितियों में 20.00 लाख रूपये से अधिक वाले प्रति कार्य की स्वीकृति जारी करने से पूर्व कार्य की प्रस्तावित लागत मा0 विधायक की अभिशंषा, कार्यकारी एजेन्सी का नाम, नक्शा एवं कार्य की उपयोगिता के सम्बन्ध में जिला परिषद अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्ताव प्रेषित कर राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2000पार्ट I दिनांक 12.8. 2010 को प्रतिस्थापित किया गया)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

कार्यो की अनुशंषा एवं क्रियान्विति

- 2.16(अ) उक्त बिन्दु संख्या 2.16 के प्रावधान बिन्दु संख्या 2.23(अ) के तहत 108 एम्बुलेन्स सेवा संस्था के कार्यो की स्वीकृति के संबध में लागू नहीं होंगे। (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ ग्रुप–6/2000 पार्ट । दिनांक 5.5.2010 को प्रतिस्थापित किया गया) ।
- **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** मद की निधि से निर्मित कराये गये कार्य के बाबत सूचना फलक कार्य स्थल पर लगवाया जावेगा जिसमे माननीय विधायक जिन्होंने राशि अभिशंषित की हैं का नाम ,स्वीकृत राशि, व्यय राशि, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्ण दिनांक एवं कार्यकारी एजेन्सी की सूचनाए अंकित होगी । उक्त सूचना के अलावा कोई अन्य सूचना अंकित नहीं की जावे यह भी सुनिश्चित किया जावे ।
- किसी गैर सरकारी संस्था/पंजीकृत ट्स्ट/पंजीकृत संस्था/निजी संस्था को उस ट्स्ट/ संस्था की स्वयं की परिसम्पत्तियॉ बनाने के लिये इस योजनान्तर्गत स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकेगी। परन्तु पंजीकृत संस्था/ट्स्ट के लिए टिकाउ प्रवृति की परिसम्पतियों का सृजन निम्नांकित शतों के अधीन कराया जा सकता हैं :–
- (अ) पंजीकृत संस्था/पंजीकृतट्स्ट जो सामाजिक सेवा/कल्याणकारी गतिविधियों में इंगेज्ड हो तथा कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
- (ब) लाभार्थी संस्था के कार्य की पारदर्शिता एवं सुदृढ वित्तीय स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए उस संस्थ की सुस्थापित एवं प्रतिष्ठित होने बाबत जिला कलक्टर द्वारा संतुष्टि किये जाने पर ।
- (स) सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख–रखाव का दायित्व सुनिश्चित तौर पर लाभार्थी संस्था द्वारा लिये जाने पर ।
- किसी ट्रस्ट/गैर सरकारी संस्था के अधीन राज्य मे संचालित एक या एक से अधिक संस्थाओं में एक या एक से अधिक कार्यो के लिये योजना अवधि में किसी भी स्थिति में 10.00 लाख रूपये तक की सीमा राशि से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे ।
- 2.23(अ) 108 एम्बुलेन्स सेवा संस्था को अधिकतम 15.00 लाख रू. तक एम्बुलेन्स क्रय करने हेतु स्वीकृत किए जा सकेंगे ।(विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2005 पार्ट दिनांक 4.8.2009 को प्रतिस्थापित किया गया)

कार्यो की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन

- विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य की अनुशंषा प्राप्त होने की तारीख से प्रशासनिक / तकनीकी / वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने एवं कार्य प्रारंभ करने के लिये निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती हैं :–
- 1. **प्रशासनिक स्वीकृति** – प्रस्ताव प्राप्त होने के 10 दिवस में ।
- 2. **तकनीकी स्वीकृति** – **15 दिन**– एक जैसे समान कार्यो के लिए मोडल एस्बेमेट के आधार पर जिन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी हो ।
- – **20 दिन** – जिन कार्यो में कार्यवार एस्टीमेट (मोके की स्थिति के अनुसार) तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी हो ।
- 3. **वित्तीय स्वीकृति** – तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 10 दिवस में
- 4. **कार्य प्रांरभ** – **15 दिन**– ऐसे कार्यो हेतु जिनमें किसी प्रकार की टेडर प्रकिया नहीं अपनाई जानी हो ।
- – जिन कार्यो में टेण्डर प्रकिया अपनाई जानी हो, उनमें टेण्डर प्रक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ ग्रुप–6 / 2000 पार्ट II दिनांक 14.6.2010 को प्रतिस्थापित किया गया)
- विशेष प्रकरणों में कार्यो का क्रियान्वयन पंजीकृत संस्था / गैर–सरकारी स्वेच्छिक संस्था / पंजीकृत ट्रस्ट / पंजीकृत सहकारी संस्था के द्वारा भी करवाया जा सकता हैं बशर्ते वह संस्था निम्न शर्तो की पूर्ति करती हों :–
- (अ) गैर सरकारी पंजीकृत संस्था / ट्रस्ट कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हों ।
- (ब) संस्था / ट्रस्ट को निर्माण कार्य करवानें का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव हो ।
- (स) संस्था / ट्रस्ट की आर्थिक, तकनीकी एवं भौतिक संसाधनों के रूप से सुदृढता तथा कार्य क्षमता के सम्बन्ध में जिला कलक्टर द्वारा संतुष्ट होने पर ही गैर सरकारी संस्था / ट्रस्ट को कार्यकारी एजेन्सी बनाया जा सकेगा ।

- (द) पंजिकृत संस्था / गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था / पंजिकृत ट्रस्ट / पंजिकृत सहकारी संस्था के द्वारा कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करवाये जाने पर कार्य की मूल लागत की कम से कम 30 प्रतिशत राशि की भागीदारी दी जायेगी । लेकिन इस प्रावधान में विद्यालय विकास समिति को उसी राजकीय विद्यालय परिसर के अन्दर विकास कार्य कराने हेतु कार्यकारी संस्था नियुक्त की जाती हैं तो उसे भागीदारी की राशि 30 प्रतिशत जमा कराने की आवश्कयता नहीं होगी ।
- योजनान्तर्गत कार्य सामान्यतः विभागीय स्तर पर करवाये जायेगे , लेकिन तकनिकी दृष्टि से/ विशेष परिस्थितियों में कार्य ठेके पर करवाये जा सकेंगे जिसकी स्वीकृति, स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा औचित्य सहित जारी की जायेगी । 5.00 लाख रू0 के कम राशि के कार्य ठेके पर टेण्डर की सामान्य प्रक्रिया द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बेरोजगार स्नातक अभियंताओं को बिना टेण्डर प्रक्रिया के भी कार्य आंवटित किये जा सकेंगे ।
- सामान्यतया 5.00 लाख रू0 तक के कार्यो पर टेण्डर प्रिमियम अनुमत नहीं होगा । लेकिन विशेष परिस्थिति में जिला दर निर्धारण समिति प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान 13 के अनुसार अनुमति दे सकेगी तथा 5.00 लाख रू0 से अधिक के कार्यो पर ग्प्रमीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान 13 के अनुसार टेण्डर प्रिमियम अनुमत होगा । ये प्रावधान समय–समय पर ग्रामीण कार्य निर्देशिका में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप होगे।

- यदि पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य जो जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में उनके हटने के दिन तक प्राप्त हो गये हैं, उन कार्यो की जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) में प्राप्त होने की तिथि से 45 दिन तक भी किन्ही प्रशासनिक कारणों से प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई हैं तो भी उन कार्यो को निष्पादित किया जायेगा बशर्त वह कार्य योजनान्तर्गत अनुमत योग्य हो ।
- 3.12.3 पूर्ववती विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य को राज्य सरकार की बिना अनुमति के ना तो निरस्त किया जायेगा एवं ना ही संशोधित किया जा सकेगा ।

कार्यो के तकमीने तैयार कराना एवं उनका क्रियान्वयन

- योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.7 में वर्णित विभागों/बोर्ड/निकाय हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कायो के लिये सम्बन्धित विभाग/ एजेंन्सी की प्रचलित बी. एस.आर दरों से तकमीने तैयार करवाये जायेंगे तथा उनका क्रियान्वयन भी तदनुसार कराया जा सकेगा । परन्तु कार्य पर कोई प्रोरेटा चार्ज देय नहीं होगा । राशि 5.00 लाख रू0 तक के कार्य विभागीय स्तर पर ही कराये जायेंगे । 5.00 लाख रू0 से अधिक राशि के कार्य कार्यकारी विभाग की विभागीय प्रक्रिया अनुसार निविदा पर करवाये जा सकते है।

पूर्णता प्रमाण पत्र/अभिलेख संधारण /परिसम्पतियों का ब्यौरा

- विभाग द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जावेंगा।

अंकेक्षण

- जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के तीन माह में विभाग को भिजवायी जावेंगी।

- राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग उक्त योजना का नोडल डिपार्टमेन्ट होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद(ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) नोडल ऑफिस होगा ।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत कराये जाने अनुमत कार्यो की सूची

राज्य के ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक उपयोग में लिये जाने वाले निम्न प्रकृति के पंचायतीराज संस्था / स्थानीय स्वायत्तशाषी निकाय / राजकीय स्वामित्व के निर्माण कार्य विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अधीन निष्पादित कराये जा सकेंगेः–

- 1. समग्र ग्रामीण रोजगार योजना की मार्ग दर्शिकाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हो सकने वाले सामुदायिक उपयोग के कार्य ।
- 2. पेयजल के कार्य ।
- 3. किसी ग्राम/नगर की आबादी सीमा में सडक (ग्रेवल/मेटल/डामर/सीमेन्ट)/खरंजा एवं नाली निर्माण ।
- **नोट** : सी.सी. रोड संबंधी समस्त कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग के अनुभाग –5 के ग्रामीण कार्य निर्देशिका –2010 के अनुसार ही की जावेगी ।
- 4. शहरी क्षेत्र में सिवरेज का कार्य ।
- 5. (अ) चिकित्सालय / स्वास्थ्य केन्द्र/ उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन ।
- (ब) शिक्षण संस्थाओ के लिए भवन/कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर / अध्ययन–अध्यापन सामग्री / स्काउट सामग्री/ खेल सामग्री/ फर्नीचर/दरी ।
- (स) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के लिये भवन बशर्ते वे शिक्षण संस्थाये कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो ।
- (द) सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाअें की शिक्षा के लिये कम्प्यूटर।

6. ग्रेवल/डब्ल्यू.बी.एम. /डामर/सीमेन्ट सडक के कार्य ।
7. ग्राम/शहर में तालाबों की सफाई/ डिस्ल्टिींग का कार्य ।
8. पारम्परिक जलस्त्रोतों के विकास के कार्य।
9. गांवों के सम्पर्क सडकों/रास्तो के लिये पुलिया/रपट का कार्य ।
10. ''पर्यटन विकास के कार्य , पुरातात्विक महत्व के स्थलों / स्मारकों / भवनों का नवीनीकरण , मरम्मत एवं विकास कार्य । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2000 पाट II दिनांक 16.1.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)
11. पशुधन के लिये पीने के पानी की सुविधा विकसित करने का कार्य ।
12. पशु स्वास्थ्य के लिये चिकित्सालय/डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कार्य ।
13. (अ) चिकित्सालय हेतु चिकित्सा उपकरण/एम्बूलेन्स ।

    (ब) पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलते फिरते दवाखानों की व्यवस्था ।

- (स) रेड क्रोस/राम कृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के लिये एम्बूलेन्स ।
- (द) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर व राज्य के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजो के चिकित्सालयों में वेंटीलेटर व अन्य उपकरणों की स्वीकृति हेतु राज्य के समस्त माननीय विधायकगण राशि की अभिशंषा कर सकते हैं ।
- (य) विकलांगो को ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरण अनुमत होंगे । ये राजकीय विभागों एवं पंजीकृत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से शिविरों मे वितरित किये जायेंगे । गैर सरकारी संस्थाओं के प्रकरण में दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.8. (द) के अनुसार 30 प्रतिशत सहयोग राशि ली जायेगी ।''

14. श्मशान/कब्रिस्तान आदि की चारदीवारी एवं सुविधायें विकसित करने का कार्य ।

15.पुस्तकालय भवन /बस स्टेण्ड /धर्मशाला /विश्रामगृह /स्टेडियम /खेल मैदान (च्स्।ल ळत्व्न्छक्) वाल्मिकी भवन/ सामुदायिक भवन।

निर्देशः–

15.1 1. सामुदायिक भवनों का निर्माण केवल राजकीय भूमि पर किया जाये । किसी व्यक्ति / संस्था या समुदाय द्वारा समर्पित भूमि पर निर्माण नहीं किया जाये ।

- 2. धर्मशाला, विश्राम गृह, बाल्मिकी भवन, पंचायत भवन, सभा भवन आदि इन सभी को सामुदायिक भवन माना जाये ।
- 3. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित किये जाने वाले सामुदायिक भवन में न्यूनतम एक हॉल जिसका फ्लोर क्षेत्रफल 20'ग15' एवं उससे जुडा एक बरामदा , जिसका फ्लोर क्षेत्रफल 20'ग8' हो । इस प्रकार सामुदायिक भवन का न्यूनतम कुल फ्लोर क्षेत्रफल 460 वर्ग फुट होगा । स्थानीय मांग एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इससे बडा निर्माण भी स्वीकार्य होगा ।
- 4. सामुदायिक भवन निर्माण उपरांत ग्राम पंचायत के अधिकार में होगा तथा इसका उपयोग ग्राम पंचायत की अनुमति के उपरांत ही किया जा सकेगा ।
- 5. किसी गांव में पूर्व में यदि कोई सामुदायिक / सभा भवन बना हुआ हैं , तो भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगो / समाज की आवश्यकतानुसार एक अतिरिक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जा सकेगा ।
- 6. उक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 की पालना सुनिश्चित करते हुए पूर्व में निर्मित सामुदायिक भवनों का विस्तार अनुमत होगा । गांवों के साथ जुडी ढाणियों की दूरी को दृष्टिगत रखते हुए, दो से भी अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कराया जा सकेगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों में पूर्ण विवरण मय जिला कलक्टर की रिपोर्ट के साथ भिजवाकर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- (विभाग के आदेश एफ. 14(40) ग्रावि/ग्रुप–6/2000 पाट II दिनांक 10.6.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

15.2 1. शहरी क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एक से अधिक सामुदायिक भवन स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे । शहरी क्षेत्रों में 5 से 15 तक सामुदायिक भवन जनसंख्या के आनुपातिक आधार को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे । यह स्पष्ट किया जाता है। कि सामुदायिक भवनों की संख्या विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के साथ – साथ यदि किसी अन्य योजना में भी पूर्व में अनुमत हो एवं निर्मित हो तो उन्हें भी इसका भाग माना जायेगा एवं तदानुसार सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जायेगी । यदि स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इससे अधिक सामुदायिक भवनों की आवश्यकता होती है। तो इस संदर्भ में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार किये जाकर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा राज्य सरकार की अनुमतिपरांत ही अनुमत संख्या से अधिक सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जा सकेगा ।

- 2. शहरी क्षेत्र में सामुदायिक भवन मास्टर प्लान में आरक्षित भूमि पर ही स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
- 3. सामुदायिक भवन पूर्णतः ग्राम पंचायत / नगरपालिका / नगर निगम के निंयत्रण में होंगे एवं संबंधित संस्था की अनुमति उपरांत ही उनका उपायेग किया जा सकेगा ।
- 4. विभिन्न कार्यक्रम / समारोहों हेतु सामुदायिक भवनों का आंवटन ग्राम पंचायत / नगर पालिका /नगर निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शुल्क निध्रारित किया जा कर किया जा सकेगा। इसी प्रकार बिजली, पानी व सफाइ की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का वहन आयेाजक को ही करना होगा । इसके अतिरिक्त निर्धारित आदेशों के अनुसार राशि जमा करवानी हागी , ताकि सामुदायिक भवन का रखरखाव सुनिश्चित हो सके ।
- 5. वृद्धाश्रम के भवन , यात्री प्रतीक्षालय को सामुदायिक भवन की श्रेणी में माना जावेगा ।
- 6. राजकीय स्वामित्व की भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में भी यह स्पष्ट किया जाता हैं कि यदि किसी दानदाता द्वारा इस प्रयोजन हेतुभूमि समर्पित की जाती हैं और वह भूमि राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज कर ली गई हैं तो ऐसी भूमि पर भी निर्माण करवाया जा सकेगा ।
- (विभाग के आदेश एफ. 14(40) ग्रावि/ग्रुप–6/2000 पाट II दिनांक 1.11.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

16. सार्वजनिक , शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युतिकरण एवं निजी ढाणियों का विद्युतिकरण, जिनमें 5 परिवार संयुक्त रूप से निवास करते हैं । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/सीएमआर/2012 डी दिनांक 17.1.,2013 को प्रतिस्थापित किया गया)

16.1 हाई मास्कलाईट कें संबंध में निर्देशः–

- 1. हाई मास्कलाईट पर विधायक मद से कुल बजट की 10 प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकृत नही की जावे ।
- 2. हाई मास्क लाईट पंचायत मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं लगायी जावे ।
- 3. हाई मास्क लाईट बाजार में प्रमुख चौराहों इत्यादि पर ही लगाई जावें । हाई मास्क लाईट, उसके विद्युत व्यय एवं रख–रखाव पर होने वाले व्यय को सुनिश्चित करने के पश्चात ही लगवाई जावें ।
- 4. संबंधित ग्राम पंचायत / नगरपालिका से कुल लागत का 10 प्रतिशत लिया जावे ।
- (विभाग के आदेश एफ. 14(19)ग्रावि/ग्रुप–6/2006 पार्ट दिनांक 2.8.2010 को प्रतिस्थापित किया गया)

17. सार्वजनिक/सरकारी स्वामित्व के योजनान्तर्गत निर्मित भवन निर्माण के मरम्मत कार्य ।

18. चारदिवारी निर्माण ।

19. स्पोर्टस काम्पलेक्स ।

- 19(अ) खेल मैदान / स्टेडियम / स्पोर्टस काम्पलेक्स हेतु खेल सामग्री
- 19(ब) मैचिंग ग्राण्ट हेतु निर्देशः–
- युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देश –2007 एवं इसी क्रम में जिला / खंड स्तर पर निर्मित करवाये जाने वाले स्टेडियम निर्माण के लिए खेल सुविधाओं के सृजन के संदर्भ में जारी परिपत्र दिनांक 28.2.2007 की पालना सुनिश्चित की जावे ।
- उक्त निर्देशों के अनुसार स्टेडियम हेतु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना मद से अधिकतम राशि रू. 10.00 लाख की मैचिंग ग्रांट उपलब्ध करवायी जा सकती हैं !
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर के यहां इस प्रयोजन हेतु जमा होगी । उक्त राशि के प्राप्त होने के उपरान्त युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा प्रस्ताव पर मैचिंग ग्रांट राशि स्वीकृत की जा सकेगी !
- उक्त योजना के तहत स्टेडियम निर्माण कार्य स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जावेगा ।

- 20. जनोपयोगी कार्य ।
- 21. अन्य योजना में स्वीकृत किन्तु राशि के अभाव मे अपूर्ण कार्य ।
- 22. जिला परिषदों (ग्रामीण प्रकोष्ठ)/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु फैक्स मशीन / कम्प्यूटर।
- 23. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना ।
- 24. राजस्थान सरकार के स्वीकृत अदालत भवन / कार्यालय भवन / पंचायत राज संस्थाओं के भवन निर्माण का कार्य ।
- 25. इलक्ट्रोनिक परियोजनायें :
- (अ) सूचना फुटपाथ (ब) माध्यमिक विद्यालयों में हैम क्लब
- (स) सिटीजन बैण्ड रेडियो (द) ग्रंथ सूची–डाटा बेस परियोजनायें ।
- 26. स्थानीय निकाय में नाइट सोयल डिसपोजन सिस्टम ।
- 27. जयपुर मुख्यालय पर सूचना केन्द्र परिसर में निर्मित होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिये स्मृति भवन व अनुसंधान केन्द्र का निर्माण ।
- 28. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान महाविद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित कॉलेज विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं । परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि विधायक की अभिशंषा पर उपयोग में ली जा सकती हैं ।

- 29. राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत विद्यमान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय/ विषय प्रारंभ करने के लिये सम्बन्धित विद्यालय विकास समिति द्वारा 3 वर्ष के लिए आवश्यक आवर्ती व्यय हेतु इकठ्ठी राशि की व्यवस्था की जानी हैं। परन्तु इसमें यदि कोई कमी हो तो विधायक स्थानीय क्षेत्र योजना मद की राशि भी उपयोग में ली जा सकती हैं ।
- 30. जयपुर मुख्यालय पर प्रस्तावित हज हाउस के निर्माण हेतु राज्य के सभी विधायक यदि वे चाहे तो अपने विधायक कोटे से प्रस्ताव अपने नोडल जिले के माध्यम से जिला कलक्टर, जयपुर को प्रेषित कर सकेंगे ।
- 31. राजकीय डाक बंगलों में ए.सी. कूलर एवं पंखें ।
- 32. राजकीय अस्पतालों के लिए चद्दर , कम्बल एवं गद्दे ।
- 33. राज्य पुलिसकर्मी आवासीय भवन निर्माण का कार्य अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रम मद अकाल राहत से दिये जाने की शर्त पर सामग्री मद विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जा सकेंगे ।
- 34. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय / उप अधीक्षक कार्यालय एवं थानों के लिये कम्प्यूटर मय लेजर प्रिंटर, स्केनर एवं फैक्स क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ति व्यय)
- 35. उपखण्ड कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर व फैक्स मशीन क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावर्ती)

36. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय प्रिन्टर एवं फैक्स मशीन तथा सूचना प्रसारण यंत्र क्रय किये जा सकेगे।

37. शहीद स्मारक निर्माण हेतु 2.00 लाख रू0 की राशि तक स्थानीय विधायक द्वारा अभिशंषा की जा सकेगी ।

38. परिविर्तत बजट घोषणा वर्ष 2009–10 की अनुपालना में जिन महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ किए जाने हैं, वहां इन संकायों के लिए आवृति व्यय (वेतन–भत्ते एवं अन्य आवृति व्यय) आगामी 5 वर्षो (वर्ष 2009–10 से 2014–15) तक मा. विधायक द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में अभिशंषित किए जा सकेंगे । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2000 पाट II दिनांक 7.8.2009को प्रतिस्थापित किया गया)

39. पंचायती राज संस्थाओं को निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार , राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमत होने पर वाहन (नोन ए.सी.) क्रय करने हेतु अभिशंषा कर सकेंगे । इन वाहनों के चालक व अन्य आवृति व्यय योजना में अनुमत नहीं होंगे ।(विभाग के आदेश एफ. 14(40) एम.एल.ए./ग्रुप–6/2000 पाट I दिनांक 31.1.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)

40. स्वच्छता इकाईयो का निर्माण

- नाली निर्माण
- सार्वजनिक सोख्ता गढढों का निर्माण
- सार्वजनिक संस्थाओं यथा– शाला / आंगनबाडी केन्द्र, पंचायत भवन , पटवार घर, चिकित्सालय आदि स्थानों पर शौचालय व मूत्रालय इकाईयों का निर्माण ।
- कचरा संग्रहण एवं निस्तारण इकाईयों का निर्माण । (विभाग के आदेश एफ. 14(32) ग्रावि/ग्रुप–6/2000 पाट I दिनांक 4.7.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)
- ग्राम सेवा सहकारी समितियें एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के कार्यालय भवन एवं गोदाम निर्माण के कार्य
- इन संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय करने हेतु एक मुश्त राशि (अनावृति व्यय)

- **विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत न कराये जा सकने वाले कार्यो की सूची**

- 1. अनुदान एवं ऋण ।
- 2. वाणिज्यिक संगठन / निजी संस्था के लिए सम्पत्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैं:–
- 1. ग्राम सेवा सहकारी समितियें एवं ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अतिरिक्त अन्य वाणिज्यिक संगठन अथवा निजी संस्था के लिए सम्पत्ति । (विभाग के आदेश एफ. 14(40) ग्रावि/ग्रुप–6/11 पाट ा दिनांक 5.10.2012 को प्रतिस्थापित किया गया)
- 3. वस्तु / सामान की खरीद ।
- 4. भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा ।
- 5. व्यक्तिगत लाभ के लिए परिसम्पत्ति ।
- 6. धार्मिक पूजा स्थल ।
- 7. निजी भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य (विद्युतिकरण , सडक, पानी की लाईन, सामुदायिक केन्द्र एवं अन्य परिसम्पत्तियों का निर्माण आदि) नहीं करवाया जा सकेगा।
- (विभाग के आदेश एफ. 14(18) ग्रावि/ग्रुप–6/2000 पार्ट पार्ट ा दिनांक 31.10.2011 को प्रतिस्थापित किया गया)